Course-10; Unit-1(c):- Note on N.G.O. "Non-Governmental Organization" & Inclusive Education

"गैर सरकारी / स्वैच्छिक संगठन और समावेशी शिक्षा:-

समावेशी शिक्षा के विकास एवं शिक्षा के सार्वभौमिकरण के कार्य को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य एक व्यापक कार्य है। अतः सिर्फ सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है। इस लिए सरकार के अतिरिक्त अन्य स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग भी अपेक्षित है। ऐसे संगठनों को ही गैर सरकारी या स्वैच्छिक संगठन के नाम से जाना जाता है जो विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कार्य करते हैं। समावेशी शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने में ऐसे संगठन हमारे देश के विभिन्न भागों में कार्यरत हैं।

नॉन गवर्नमेंटल (Non-voluntary Government organization) ऑर्गेनाइजेशन अर्थात गैर सरकारी संगठन किसी मिशन के तहत चलाये जाते हैं। समाज की सामाजिक समस्याओं का हल करने के लिये और विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों को बल देना N.G.O. का मुख्य उद्देश्य होता है। कार्य क्षेत्र के रूप में कृषि, पर्यावरण, शिक्षा, संस्कृति, मानवाधिकार स्वास्थ्य महिला समस्याएं, बाल विकास इत्यादि में से कोई भी चुना जा सकता है। यह एक ~~ऐसा~~ ऐसा क्षेत्र है, जहाँ आप समाज के लिये कार्य कर सकते हैं। अतः N.G.O. का व्यापक सामाजिक आवश्यकता वाले कार्य क्षेत्र हैं।

वर्तमान मौजूदा समय में अपने देश में सक्रिय स्वयंसेवी (N.G.O)- गैर सरकारी संगठनों की संख्या एक रिपोर्ट के अनुसार 33 लाख के आस-पास है। अर्थात हर 365 भारतीयों पर एक एन.जी.ओ.। उपलब्ध आँकड़ो के अनुसार महाराष्ट्र में सर्वाधिक 4.8 लाख, केरल में 3.3 लाख, कर्नाटक में 1.9 लाख गुजरात में तथा पश्चिम बंगाल में 1.7 लाख, तमिलनाडु में 1.4 लाख उड़ीसा में 1.3 लाख तथा राजस्थान में 1 लाख एनजीओ सक्रिय कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी बड़ी संख्या

P.T.O.

में गैर सरकारी संगठन (N.G.O) सक्रिय कार्य कर रहे हैं। दुनियाँ भर में सबसे ज्यादा सक्रिय एनजीओ अपने देश में हैं।

भारत में लगभग सभी गैर सरकारी संगठन (N.G.O) सोसाइटी एक्ट (Society Act) (1856) के तहत बनाये जाते हैं। इसके लिये केन्द्रीय कानून सोसाइटी एक्ट है, जिसके अन्तर्गत एनजीओ को पंजीकृत कराया जाता है।

गैर सरकारी संगठन (NGO) को प्रोत्साहन — राष्ट्रीय नीति गैर सरकारी संगठनों को एक अहम संस्थानिक प्रणाली के रूप में मानती है जो सरकार के विभिन्न कार्यों के लिये किये गये प्रयासों को लागू करने का सस्ता माध्यम है।

एनजीओ गतिशील व उदीयमान क्षेत्र है। विकलांग व्यक्तियों को सेवा देने के प्रावधान में इसने एक अहम भूमिका निभाई है। कुछ एनजीओ मानव संसाधन विकास द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। सरकार सक्रिय रूप से नीति के सूत्रीकरण में योजना, क्रियान्वयन आदि में शामिल करती है। विकलांगता के क्षेत्र में निम्न कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। —

(i) एनजीओ को न्यूनतम मानक आचार संहिता तथा नैतिकता के विकास के लिये बढ़ावा दिया जायेगा।

(ii) एनजीओ को सरकार की ओर से अनुदान उपलब्ध कराना तथा विशिष्ट बालकों में उसका प्रयोग करना।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनेक क्रियाकलापों के माध्यम से एनजीओ हमारे संवैधानिक शिक्षा के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में काफी उपयोगी तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सरकारी प्रयासों का लाभ पहुँचाने में मददगार है। यह कार्य समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में लाभकारी सिद्ध हो रहा है। अतः शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में उपयोगी रहा है।

8/05/2020